## (Statutory Rules and Order)

(See rule 64)

FORM -21C

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the People Act. 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from 129-SOORSAGAR Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961

I declare that -

## SMT. SURYAKANTA VYAS, MUKHYA SARAK, JALORI GET KE ANDAR, JODHPURsponsored by BHARATIYA JANATA PARTY

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place : Jodhpur

Date: 11/12/2018

(SUMITRA PAREEK)

Returning Officer

Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate,

Jodhpur

## निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब सीट निर्विरोध ना हो)

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के अनुसरण में, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

129.सूरसागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि—

श्रीमती सूर्यकांता व्यास, मुख्य सड़क, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर जो भारतीय जनतापार्टी द्वारा प्रयोजित को उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : जोधपुर

तारीख: 11.12.2018

Scanned by CamScanner

(सुमित्रा पारीक) रिटर्निगअधिकारी

129 स्**रितिरिए अविधानरी**मा क्षेत्र उपख**ेड अधिका सहं वसम्बन्ध म्हिन ज**स्ट्रेट,